न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 22/2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 दुर्गाराम पुत्र टीकमराम 2 पिस्तादेवी पुत्री टीकमराम 3 मांगीदेवी पुत्री टीकमराम 4 अजय पुत्र मानाराम 5 पुजा पुत्री मानाराम 6 प्रियंका पुत्री मानाराम जाति सिरवी निवासी माडपुरिया तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)		1 दयालसिंह पुत्र नारायणसिंह 2 हरिसिंह पुत्र काशीराम जातियान रावणा राजपुत निवासीगण चन्दलाई बोट तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी एवं भरत नाथ अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 13/11/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण, ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चन्दलाई, पटवार हल्का सरदारसंमद, तहसील सोजत में स्थित अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि ख0न0 151/891 की जोत में से नया मार्ग अपनी खातेदारी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 162 तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नंबर 162 में आने—जाने अर्थात् आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 151/891 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की डी0एल0सी0 राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ—पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा चन्दलाई, प0ह0 सरदारसमंद, तह0 सोजत, जिला पाली के अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 162 में से 20 फुट चौड़ा रास्ता जो प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, रास्ता घोषित किया जाकर प्रार्थीगण की खसराजात कृषि जोत भूमि खसरा नंबर 162 तक आने—जाने अर्थात् आवागमन हेतु रास्ता दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 को बावजूद तामिली

सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 31.05.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा व जबाब प्रा0 पत्र पेश किया सा0मि0 किया गया। अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब प्रा0 पेश कर अंकित किया कि सरहद मौजा चंदलाई के ख़सरा नंबर 162 में आवागमन के लिए अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 151/891 में से होकर नया रास्ता कायम करवाने के लिए आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर तथ्यों को छुपाते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थी ने धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित प्रा0 पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 162 में आवासीय प्लान बनाने के आशय से रास्ते की मांग की गई। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पड़ौस में खसरा नंबर 72 स्थित है तथा खसरा नंबर 72 के लगते ही खसरा संख्या 73 आया है, खसरा नंबर 73 के खातेदार द्वारा रामनगर के नाम से लेआउट प्लान बनाकर छोटे छोटे भुखण्ड बनाये हुए है जिसमें खसरा नंबर 72 सड़क (रास्ता) कायम किया हुआ है। जिस रास्ते से होकर खसरा संख्या 72 के खातेदार प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन करता रहता है। उक्त रास्ता सरदारसमंद से जोधपुर जाने वाले मुख्य सड़क पर मिलता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि की कीमत वढाने के आशय से नया रास्ता कायम करवाना चाहता है, जबकि प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन करता रहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को कतई रास्ता की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन के लिए विकल्प में रास्ता स्थित है। ऐसी स्थिति में प्राथी का प्रा0 पत्र कतई चलने लायक नहीं है। पटवारी हल्का के द्वारा खसरा नंबर 73 में स्थित रास्ते से खसरा संख्या 162 में हो रहे आवागमन बाबत् रिपोर्ट भी तलब करवाया जाना कानूनन आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः जवाब प्रा0 पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रा0 पत्र सव्यय खारिज़ किये जाने की ईश्तदुआ की है। पटवारी सरदारसमंद भू0अ0 निरीक्षक शिवपुरा मय तहसीलदार, सोजत द्वारा पत्रांक/राजस्व/2024/113 दिनांक 15.01.2024 के जरिए प्रस्तुत वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा संख्या 162 में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 151/891 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से व्यक्त किया कि सरहद मौजा चंदलाई के खसरा नंबर 162 में आवागमन के लिए अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 151/891 में से होकर नया रास्ता कायम करवाने के लिए आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पड़ौस में खसरा नंबर 72 स्थित है तथा खसरा नंबर 72 के लगते ही खसरा संख्या 73 आया है, खसरा नंबर 73 के खातेदार द्वारा रामनगर के नाम से लेआउट प्लान बनाकर छोटे छोटे भुखण्ड बनाये हुए है

उपखण्ड अधिकारी

जिसमें खसरा नंबर 72 तक सड़क (रास्ता) कायम किया हुआ है। जिस रास्ते से होकर खसरा संख्या 72 के खातेदार व प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन करता रहता है। उक्त रास्ता सरदारसमंद से जोधपुर जाने वाले मुख्य सड़क पर मिलता है। जबकि प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन करता रहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को कतई रास्ता की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन के लिए विकल्प में रास्ता स्थित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र कतई चलने लायक नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 शिवपुरा द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि खसरा नंबर 162 में वर्तमान में मौके पर रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि में आने जाने हेतु ख0न0 151/891 से रास्ता चाहा है। उक्त खसरे में आवागमन हेतु नजदीकी खसरे नंबर 151/891 रकबा 1.2800 है0 कृषि भूमि में से रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि कुल रकबा 0.0216 है0 बनता है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 133954/– रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (133954/– रू0 × 2 × 0.0144 है0 = 3857.88/– रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 151/891 से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। वस्तुस्थिति मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा संलग्न पत्रावली है, अनुसार रास्ते की भूमि दिया जाना न्यायोचित अंकित किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ता मय प्रार्थीगण को सुना गया तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 शिवपुरा, पटवारी हल्का सरंदारसमंद की रिपोर्टानुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 151/891 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है,। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार डी0एल0सी0 की दो गुणा देय प्रतिकर राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा चन्दलाई, पटवार हल्का सरदारसमंद, तह0 सोजत जिला पाली के खसरा नंबर 162 रकबा 1.5100 है0 किस्म बा0अ0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की ख0न0 151/891 में से रकबा 1.2800 है0 बा0अ0 कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (133954/- रू0 × 2 × 0.0144 है0 = 3857.88/- रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैः-

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
1	151/891	1.2800 किस्म बा0अ0	दयालसिंह पुत्र नारायणसिंह 1/2 हिस्सा जांति-रावणा राजपुत सा. चन्दलाई बोट खातेदार	4 X 36 मी0 =0.0144 है0	1928.94/-
2			हरिसिंह पुत्र काशीराम 1/2 हिस्सा जाति-रावणा राजपुत सा. चन्दलाई बोट खातेदार		1928.94/-
			योग :-	0.0144 है0	3857.88/-

तदानुसार राजस्व रेकर्ड, नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 13/11/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली